

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फालान 2, 1938

No. 492]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

का.आ. 554(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में श्री अमरदीप सिंह भाटिया के कार्यकाल की अविध तारीख 01 नवंबर, 2016 से एक वर्ष की और अविध के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढाती है।

[फा. सं. 05/05/2014-आईईपीएफ]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 1648(अ) द्वारा तारीख 2 मई, 2016 को प्रकाशित की गई थी।

957 GI/2017 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2017

S.O. 554(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) and (6) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016, the Central Government hereby extends the period of tenure of Shri Amardeep Singh Bhatia, as Chief Executive Officer (Additional Charge) in the Investor Education and Protection Fund Authority for a further period of one year with effect from the 1st November, 2016 or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 05/05/2014-IEPF]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principle notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1648(E), dated 2nd May, 2016